रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-19112025-267827
CG-MH-E-19112025-267827

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 747] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 18, 2025/कार्तिक 27, 1947
No. 747] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 18, 2025/KARTIKA 27, 1947

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 18 नवम्बर, 2025

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

[सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2025

फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/273.—बोर्ड, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 31 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11, धारा 11क की उप-धारा (2) तथा धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2025 कहा जा सकेगा।

2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे:

   परंतु यह कि इन संशोधन विनियमों के विनियम 3 के उप-विनियम-I, उप-विनियम-III और उप-विनियम-VII राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से तीसवें दिन लागू होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 में, –

I. विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, खंड (यग) में, पहले परंतुक में, खंड (ङ) में,

क. शब्दों तथा चिह्नों “उसकी सहायक कंपनी (सब्सिडियरी) से” के बाद और शब्दों “द्वारा की जाने वाली” से पहले दिए हुए शब्दों “उसके निदेशकों या उसके कर्मचारियों” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “उस सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी या उसकी सहायक कंपनी (सब्सिडियरी) के निदेशकों या प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों (की मैनेजेरियल पर्सोनल), और उन निदेशकों या प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों के नातेदारों” आ जाएँगे;

ख. शब्दों तथा चिह्न “वे सभी कर्मचारियों और निदेशकों पर समान रूप से लागू हों / जो सभी कर्मचारियों और निदेशकों के लिए एक जैसी ही हों” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “वे शर्तें सभी कर्मचारियों, निदेशकों, प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों और निदेशकों या प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों के नातेदारों के मामले में समान रूप से लागू हों / के लिए एक जैसी ही हों” आ जाएँगे

II. विनियम 12 में,

क. मौजूदा पहला परंतुक और दूसरा परंतुक दोनों हट जाएँगे;

ख. चिह्नों, अक्षर तथा शब्दों “(ग) मोचन (रिडेंप्शन) या चुकौती की रकम” के बाद दिए हुए चिह्न “:” के स्थान पर चिह्न “।” आ जाएगा ।

III. विनियम 23 में,

क. उप-विनियम (1) में, पहले परंतुक में, शब्दों तथा चिह्नों “एक हजार करोड़ रुपये या सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार सूचीबद्ध एंटिटी के वार्षिक समेकित व्यापारावर्त (टर्नओवर) के दस प्रतिशत (जो भी कम हो) से अधिक हो जाए” के स्थान पर शब्द, चिह्न तथा अंक “इन विनियमों की अनुसूची-XII में निर्धारित की गई सीमाएँ पार कर जाए” आ जाएँगे;

ख. उप-विनियम (2) में,

i. दूसरे परंतुक में,

1. खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

“(ख) संबंधित पक्षों (सबंद्ध पक्षकार / रिलेटेड पार्टी) के साथ किए गए एक करोड़ रुपये से अधिक के लेनदेन (ट्रांजैक्शन) [अपने आप में या वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए पिछले लेनदेन को मिलाकर], जिसमें सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी की सहायक कंपनी (सब्सिडियरी) एक पक्ष (पार्टी) हो किंतु सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी एक पक्ष (पार्टी) न हो, के मामले में सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी की लेखापरीक्षा समिति (ऑडिट कमिटी) से पहले ही मंजूरी लेनी होगी, यदि उस लेनदेन का मूल्य:

(i) सहायक कंपनी (सब्सिडियरी) के अंतिम लेखापरीक्षित (ऑडिटेड) वित्तीय विवरणों के अनुसार सहायक कंपनी के वार्षिक टर्नओवर (व्यापारावर्त) [उसके अकेले का (स्टैंडअलोन)] के दस प्रतिशत; या

(ii) इन विनियमों की अनुसूची-XII में बताई गई सीमा पार कर जाए और उस लेनदेन को सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी एवं संबंधित पक्ष के बीच किया गया महत्त्वपूर्ण लेनदेन माना जाए,

में से जो भी कम हो उससे ज्यादा हो ।”

2. खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड और परंतुक आ जाएँगे, अर्थात्,-

"(ग) संबंधित पक्षों (सबंद्ध पक्षकार) के साथ किए गए एक करोड़ रुपये से अधिक के लेनदेन (ट्रांजैक्शन) [अपने आप में या वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए पिछले लेनदेन को मिलाकर], जिसमें सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी की सहायक कंपनी (सब्सिडियरी) एक पक्ष (पार्टी) हो किंतु सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी एक पक्ष (पार्टी) न हो और उस सहायक कंपनी (सब्सिडियरी) के कम से कम एक वर्ष की अवधि के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण भी उपलब्ध न हों, उसके मामले में सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी की लेखापरीक्षा समिति (ऑडिट कमिटी) से पहले ही मंजूरी लेनी होगी, यदि उस लेनदेन का मूल्य:

(i) सहायक कंपनी (सब्सिडियरी) की पेड-अप शेयर कैपिटल (समादत्त शेयर पूँजी) और सिक्यूरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट के कुल मूल्य के दस प्रतिशत; या

(ii) इन विनियमों की अनुसूची-XII में बताई गई सीमा पार कर जाए और उस लेनदेन को सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी एवं संबंधित पक्ष के बीच किया गया महत्त्वपूर्ण लेनदेन माना जाए,

में से जो भी कम हो उससे ज्यादा हो:

परंतु यह कि सहायक कंपनी (समनुषंगी / सब्सिडियरी) के पेड-अप शेयर कैपिटल (समादत्त शेयर पूँजी) और सिक्यूरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट का कुल मूल्य उस तारीख का लिया जाएगा, जो लेखापरीक्षा समिति (ऑडिट कमेटी) से मंजूरी मांगे जाने की तारीख से तीन महीने से ज्यादा पुरानी तारीख न हो ।"

ग. उप-विनियम (4) में,

i. दूसरे परंतुक में, चिह्न "।" के स्थान पर चिह्न ":" आ जाएगा;

ii. दूसरे परंतुक के बाद, निम्नलिखित नए परंतुक जोड़े जाएँगे, अर्थात्,-

"परंतु यह और कि संबंधित पक्ष के साथ किए जाने वाले महत्त्वपूर्ण लेनदेन के मामले में शेयरधारकों द्वारा वार्षिक आम बैठक में दी गई स्थायी स्वरूप की मंजूरी अगली वार्षिक आम बैठक [जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 या नियमों, अधिसूचनाओं, या उनके तहत समय-समय पर जारी किए परिपत्रों (सर्कुलर्स) में दी हुई समय-सीमाओं के भीतर आयोजित की जाएगी] की तारीख तक मान्य रहेगी:

परंतु यह और कि संबंधित पक्ष के साथ किए जाने वाले महत्त्वपूर्ण लेनदेन के मामले में शेयरधारकों द्वारा स्थायी स्वरूप की मंजूरी यदि वार्षिक आम बैठकों में न देकर किन्हीं दूसरी आम बैठकों में दी जाए, तो इस प्रकार दी गई स्थायी स्वरूप की मंजूरियाँ ऐसी मंजूरी दिए जाने की तारीख से एक वर्ष तक ही मान्य रहेंगी ।"

घ. उप-विनियम (5) में, खंड (ङ) के बाद निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"***स्पष्टीकरण:*** शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस उप-विनियम के खंड (ख) में इस्तेमाल किए गए शब्दों 'नियंत्री (धारिता) कंपनी (होल्डिंग कंपनी)' का अर्थ यह है और हमेशा यही रहा है - सूचीबद्ध नियंत्री कंपनी (लिस्टिड होल्डिंग कंपनी) ।"

IV. विनियम 53 में,

क. उप-विनियम (1) में, शब्दों, चिह्न तथा अंक "सूचीबद्ध एंटिटी की वार्षिक रिपोर्ट में कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा विनिर्दिष्ट प्रकटीकरणों के साथ निम्नलिखित अंतर्विष्ट होगा" के स्थान पर शब्द, चिह्न

तथा अंक "सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी की वार्षिक रिपोर्ट में वह समस्त जानकारी (डिस्क्लोज़र) दी जाएगी, जिसका जिक्र कंपनी अधिनियम, 2013 में किया गया है या उस कानून में किया गया है जिसके तहत वह सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी बनी हो, और साथ ही निम्नानुसार जानकारी भी दी जाएगी" आ जाएँगे;

ख. उप-विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

"(2) सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी निम्नलिखित दस्तावेज आदि स्टॉक एक्सचेंज और डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी) के पास प्रस्तुत करेगी और उन्हें अपनी वेबसाइट पर भी डलवाएगी –

(क) वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति (यथास्थिति, उस तारीख तक, जिस तारीख को वह अपने शेयरधारकों को भिजवाए अथवा जिस तारीख को वह केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के पास प्रस्तुत करे); और

(ख) यदि वार्षिक रिपोर्ट में किसी भी प्रकार का बदलाव हो जाए, तो ऐसे में उसकी संशोधित प्रति के साथ-साथ यह जानकारी कि क्या-क्या बदलाव किए गए और ऐसे बदलाव किए जाने की क्या वजह रही [यथास्थिति, वार्षिक आम बैठक होने के बाद 48 घंटों के भीतर, अथवा उस तारीख तक, जिस तारीख को वह इनकी जानकारी अपने शेयरधारकों को भिजवाए या जिस तारीख को वह केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के पास इनकी जानकारी प्रस्तुत करे] ।"

V. विनियम 58 में,

क. उप-विनियम (1) में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(ख) असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियाँ (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) जिन धारकों के पास हों और ऐसे जिन धारकों ने अपनी ईमेल आईडी दर्ज न कराई हुई हो, उन्हें एक पत्र देगी जिसमें वह वेब-लिंक दिया गया हो, जिसे क्लिक करने पर वही वेबपेज खुले जहाँ वार्षिक रिपोर्ट के पूरे ब्यौरे दिए हुए हों, इसके अलावा सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी यदि चाहे तो इस संबंध में एक क्यू.आर. (स्टैटिक क्विक रिस्पॉन्स) कोड भी दे सकती है ।"

ख. उप-विनियम (1) के बाद निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"(1क) सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी वे दस्तावेज भिजवाएगी जिनका जिक्र उप-विनियम (1) में किया गया है, और ये दस्तावेज कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 136 और इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों में या जिस कानून के तहत वह सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी बनी हो उस कानून में बताई गई समय-सीमाओं के भीतर भिजवाए जाएँगे:

परंतु यह कि यदि कानूनी प्रावधानों में कोई समय-सीमा न बताई गई हो, तो ऐसे में ये दस्तावेज, यथास्थिति, उस तारीख तक भिजवाए जाएँ, जिस तारीख को वे दस्तावेज वह अपने शेयरधारकों को भिजवाए या जिस तारीख को वह केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के पास वे दस्तावेज प्रस्तुत करे।"

VI. अनुसूची-I में, खंड (3) हट जाएगा ।

VII. अनुसूची-XI के बाद निम्नलिखित नई अनुसूची जोड़ी जाएगी, अर्थात्,-

"अनुसूची-XII: संबंधित पक्षों के साथ किए जाने वाले लेनदेन (संबद्ध पक्षकार संव्यवहार / रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन)

[विनियम 23(1) देखें]

संबंधित पक्षों के साथ किया जाने वाला लेनदेन (संबद्ध पक्षकार संव्यवहार / रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन) तब महत्त्वपूर्ण माना जाएगा, जब लेनदेन का मूल्य या तो अपने आप में या फिर वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए पिछले लेनदेन को मिलाकर निम्नलिखित से अधिक हो जाए:

सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी का समेकित टर्नओवर (व्यापारावर्त)	सीमा
(I) ₹20,000 करोड़ तक	सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी के वार्षिक समेकित टर्नओवर (व्यापारावर्त) का 10%
(II) ₹20,000 करोड़ से ₹40,000 तक	₹2,000 करोड़ + सूचीबद्ध एंटिटी के ₹20,000 करोड़ से ज्यादा के वार्षिक समेकित टर्नओवर (व्यापारावर्त) का 5%
(III) ₹40,000 करोड़ से ज्यादा	₹3,000 करोड़ + सूचीबद्ध एंटिटी के ₹40,000 करोड़ से ज्यादा के समेकित वार्षिक टर्नओवर (व्यापारावर्त) का 2.5% या ₹5000 करोड़ (जो भी कम हो)

स्पष्टीकरण : ऊपर बताई गई सीमाओं की गणना करने के लिए, सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी का वार्षिक समेकित टर्नओवर (व्यापारावर्त) सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी के अंतिम लेखापरीक्षित (ऑडिटेड) वित्तीय विवरणों के आधार पर निकाला जाएगा ।

उदाहरण-1. – क्रम सं. (II) में जिन सूचीबद्ध एंटिटियों का जिक्र है, उनके संबंध में	
यदि सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी का वार्षिक समेकित टर्नओवर (व्यापारावर्त) ₹30,000 करोड़ हो	₹2,000 करोड़ + शेष ₹10,000 करोड़ का 5% = ₹2,500 करोड़
उदाहरण-2. – क्रम सं. (III) में जिन सूचीबद्ध एंटिटियों का जिक्र है, उनके संबंध में	
यदि सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी का वार्षिक समेकित टर्नओवर (व्यापारावर्त) ₹50,000 करोड़ हो	₹3,000 करोड़ + शेष ₹10,000 करोड़ का 2.5% = ₹3,250 करोड़
उदाहरण-3. – क्रम सं. (III) में जिन सूचीबद्ध एंटिटियों का जिक्र है, उनके संबंध में	
यदि सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी का वार्षिक समेकित टर्नओवर (व्यापारावर्त) ₹1,50,000 करोड़ हो	₹3,000 करोड़ + शेष ₹1,10,000 करोड़ का 2.5% = ₹5,750 करोड़ हालांकि, संबंधित पक्षों के साथ किए जाने वाले लेनदेन (संबद्ध पक्षकार संव्यवहार / रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन) की सीमा ₹5,000 करोड़ रहेगी, क्योंकि यह रकम ₹5,750 करोड़ से कम है

”

अमित प्रधान, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./484/2025-26]

पाद टिप्पण:

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/013, द्वारा 2 सितम्बर 2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 तत्पश्चात्:

क) 22 दिसम्बर, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2015, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/027, द्वारा

ख) 25 मई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/001, द्वारा

ग) 8 जुलाई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/008, द्वारा

घ) 4 जनवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/025, द्वारा

ङ) 15 फरवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/029, द्वारा

च) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037 [तारीख 29 मार्च, 2017 को अधिसूचित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/38 के साथ पठित], द्वारा

छ) 9 मई, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/10, द्वारा

ज) 30 मई, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/13, द्वारा

झ) 1 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/21, द्वारा

ञ) 8 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/24, द्वारा

ट) 6 सितम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/30, द्वारा

ठ) 16 नवम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/47, द्वारा

ड) 29 मार्च, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/07, द्वारा

ढ) 7 मई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/12, द्वारा

ण) 27 जून, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/22, द्वारा

त) 29 जुलाई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2019/28, द्वारा

थ) 26 दिसम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/45, द्वारा

द) 10 जनवरी, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/02, द्वारा

ध) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा

न) 5 अगस्त, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/25, द्वारा

प) 8 अक्तूबर, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/33, द्वारा

फ) 8 जनवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/02, द्वारा

ब) 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/22, द्वारा

भ) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा

म) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/35, द्वारा

य) 13 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ/जी.एन./2021/42, द्वारा

कक) 7 सितम्बर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/47, द्वारा

खख) 9 नवम्बर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/55, द्वारा

गग) 24 जनवरी, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/66, द्वारा

घघ) 22 मार्च, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/76, द्वारा

ङङ) 11 अप्रैल, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/79, द्वारा

चच) 25 अप्रैल, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/80, द्वारा

छछ) 25 जुलाई, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/88, द्वारा

जज) 14 नवम्बर, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/103, द्वारा

झझ) 5 दिसम्बर, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/109, द्वारा

ञञ) 17 जनवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/117, द्वारा

टट) 7 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/121, द्वारा

ठठ) 14 जून, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/131, द्वारा

डड) 4 जुलाई, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विवाद सुलझाने की वैकल्पिक व्यवस्था) (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/137, द्वारा

ढढ) 23 अगस्त, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/149, द्वारा

णण) 19 सितम्बर, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/151, द्वारा

तत) 9 अक्तूबर, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/155, द्वारा

थथ) 20 अक्तूबर, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/158, द्वारा

दद) 21 दिसम्बर, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/161, द्वारा

धध) 17 मई, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रक टीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2024, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/177, द्वारा

नन) 10 जुलाई, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/189, द्वारा

पप) 12 दिसम्बर, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/218, द्वारा

फफ) 28 मार्च, 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2025, अधिसूचना फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/239, द्वारा

बब) 1 मई, 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025, अधिसूचना फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/244, द्वारा

भभ) 8 सितम्बर, 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2025, अधिसूचना फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/261, द्वारा

मम) 27 अक्तूबर, 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2025, अधिसूचना फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/270, द्वारा

संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 18th November, 2025

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) (FIFTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2025

F. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/273.—In exercise of the powers conferred by section 11, sub-section (2) of section 11A and section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) read with section 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, namely:-

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2025.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette:

   Provided that sub-regulations I, III and VII of regulation 3 of these amendment regulations shall come into force on the thirtieth day from the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 –

I. in regulation 2, sub-regulation (1), clause (zc), in the first proviso, in clause (e),

   a. the word “its directors or its employees” appearing after the words “its subsidiary by” and before the symbol and words “, without establishing a business relationship” shall be substituted with words and symbols “the directors or key managerial personnel of the listed entity or its subsidiary, and relatives of such directors or key managerial personnel”;

   b. the words “employees and directors” appearing after the words and symbol “applicable/offered to all” and before the symbol “:”, shall be substituted with the words and symbols “employees, directors, key managerial personnel and relatives of directors or key managerial personnel”.

II. in regulation 12,

   a. the existing first proviso and second proviso shall be omitted;

   b. the symbol “:” appearing after the words and symbols “(c) redemption or repayment amounts”, shall be substituted with the symbol “.”.

III. in regulation 23,

   a. in sub-regulation (1), in the first proviso, the words and symbol “rupees one thousand crore or ten percent of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower”, shall be substituted with the words and numbers “the thresholds specified in Schedule XII of these regulations”;

   b. in sub-regulation (2),

      i. in the second proviso,

         1. clause (b) shall be substituted with the following clause, namely,-

            “(b) a related party transaction above rupees one crore, whether entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year, to which the subsidiary of a listed entity is a party but the listed entity is not a party, shall require prior approval of the audit committee of the listed entity if the value of such transaction, exceeds the lower of the following:

            (i) ten percent of the annual standalone turnover of the subsidiary as per the last audited financial statements of the subsidiary; or

            (ii) the threshold for material related party transactions of listed entity as specified in Schedule XII of these regulations.”;

         2. clause (c) shall be substituted with the following clause and the proviso thereto, namely,-

            “(c) In the event of a related party transaction above rupees one crore, whether entered into individually or taken together with previous transactions during a

financial year, to which the subsidiary of a listed entity is a party but the listed entity is not a party and such subsidiary does not have audited financial statements for a period of at least one year, prior approval of the audit committee of the listed entity shall be obtained if the value of such transaction exceeds the lower of the following:

(i) ten percent of the aggregate value of paid-up share capital and securities premium account of the subsidiary; or

(ii) the threshold for material related party transactions of listed entity as specified in Schedule XII of these regulations:

Provided that the aggregate value of paid-up share capital and securities premium account of the subsidiary shall be taken as on a date, not older than three months prior to the date of seeking approval of the audit committee.";

c. in sub-regulation (4),

i. in the second proviso, the symbol ";" shall be substituted with the symbol ":";

ii. after the second proviso, the following new provisos shall be inserted, namely,-

"Provided further that the omnibus approval granted by the shareholders for material related party transactions in an annual general meeting shall be valid till the date of the next annual general meeting held within the timelines prescribed under Section 96 of the Companies Act, 2013 or rules, notifications, or circulars issued thereunder from time to time:

Provided further that in case of omnibus approvals for material related party transactions, granted by shareholders in general meetings other than annual general meeting, the validity of such omnibus approvals shall not exceed one year from the date of such approval.";

d. in sub-regulation (5), after clause (e) the following Explanation shall be inserted, namely,-

"***Explanation:*** For the removal of doubts, it is clarified that the term 'holding company' used in clause (b) of this sub-regulation refers to and shall be deemed to have always referred to a listed holding company.".

IV. in regulation 53,

a. in sub-regulation (1), after the words, "The annual report of the listed entity shall contain disclosures as specified in Companies Act, 2013" and before the words, "along with the following", the words "or the statute under which such listed entity is constituted," shall be inserted;

b. sub-regulation (2) shall be substituted with the following, namely, -

"(2) The listed entity shall submit to the stock exchange and the debenture trustee and publish on its website-

(a) a copy of the annual report, on or before the date of dispatch of the same to its shareholders or the date of submission to the Central Government or the State Government, as the case may be; and

(b) in the event of any changes to the annual report, the revised copy along with the details and explanation for the changes, within 48 hours after the annual general meeting or on or before the date of dispatch of the same to its shareholders or the date of submission to the Central Government or the State Government, as the case may be."

V. in regulation 58,

a. in sub-regulation (1), clause (b) shall be substituted with the following, namely,-

"(b) A letter providing the web-link including the exact path where complete details of the Annual Report is available, which may at the option of the listed entity, also include a static Quick Response Code, to those holder(s) of non-convertible securities that have not registered their respective email addresses.";

b. after sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be inserted, namely,-

"(1A) The listed entity shall send the documents referred to in sub-regulation (1), within the timelines specified in Section 136 of Companies Act, 2013 and rules made thereunder or the provisions of the statute under which such listed entity is constituted:

Provided that in the absence of any timeline in the statute, the documents shall be sent on or before the date of dispatch of the same to its shareholders or the date of submission to the Central Government or the State Government, as the case may be.”.

VI. in Schedule I, clause (3) shall be omitted.

VII. after Schedule XI, the following new Schedule shall be inserted, namely,-

“**Schedule XII: RELATED PARTY TRANSACTIONS**

[See Regulation 23(1)]

A transaction with a related party shall be considered material, if the transaction(s) to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year exceeds the following:

Consolidated Turnover of Listed Entity	Threshold
(I) Up to ₹20,000 Crore	10% of the annual consolidated turnover of the listed entity
(II) More than ₹20,000 Crore to upto ₹40,000 Crore	₹2,000 Crore + 5% of the annual consolidated turnover of the listed entity above ₹20,000 Crore
(III) More than ₹40,000 Crore	₹3,000 Crore + 2.5% of the annual consolidated turnover of the listed entity above ₹40,000 Crore or ₹5000 Crores, whichever is lower.

Explanation: For the purpose of computing the thresholds stated above, the annual consolidated turnover of the listed entity shall be determined based on the last audited financial statements of the listed entity.

Illustration 1. For listed entities in (II)	
If the annual consolidated turnover of a listed entity is ₹30,000 Crore	₹2,000 Crore + 5% of the remaining ₹10,000 Crore = ₹2,500 Crore.
Illustration 2. For listed entities in (III)	
If the annual consolidated turnover of a listed entity is ₹50,000 Crore	₹3,000 Crore + 2.5% of the remaining ₹10,000 Crore = ₹3,250 Crore.
Illustration 3. For listed entities in (III)	
If the annual consolidated turnover of a listed entity is ₹1,50,000 Crore	₹3,000 Crore + 2.5% of the remaining ₹1,10,000 Crore = ₹5,750 Crore. However, threshold for material related party transaction would be ₹5,000 Crore as it is lower than ₹5,750 Crore.

”

AMIT PRADHAN, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./484/2025-26]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 2nd September 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/013.
2. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, were subsequently amended on:
   a) December 22, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2015 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/27.
   b) May 25, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2016 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2016-17/001.
   c) July 8, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2016 vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2016-17/008.

d) January 4, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2016 vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2016-17/025.

e) February 15, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/029.

f) March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2016- 17/037 read with March 29, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/38.

g) May 9, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/10.

h) May 30, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/13.

i) June 1, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/21.

j) June 8, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/24.

k) September 6, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/30.

l) November 16, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/47.

m) March 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2019 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/07.

n) May 7, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2019, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2019/12.

o) June 27, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2019, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2019/22.

p) July 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2019, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2019/28.

q) December 26, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2019, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2019/45.

r) January 10, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2020, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2020/02.

s) April 17, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide no. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.

t) August 5, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2020, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2020/25.

u) October 8, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2020, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2020/33.

v) January 8, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/02.

w) May 5, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/22.

x) August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide notification no. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.

y) August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/35.

z) August 13, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/42.

aa) September 7, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/47.

bb) November 9, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/55.

cc) January 24, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2022, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/66.

dd) March 22, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2022, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/76.

ee) April 11, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2022, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/79.

ff) April 25, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2022 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/80.

gg) July 25, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2022 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/88.

hh) November 14, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2022 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/103.

ii) December 05, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Seventh Amendment) Regulations, 2022 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/-2022/109.

jj) January 17, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/117.

kk) February 7, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/121.

ll) June 14, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/131.

mm) July 4, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Dispute Resolution Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD–NRO/GN/2023/137.

nn) August 23, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/149.

oo) September 19, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/151.

pp) October 09, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/155.

qq) October 20, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/158.

rr) December 21, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Seventh Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/161.

ss) May 17, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2024 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/177.

tt) July 10, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2024 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/189.

uu) December 12, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2024, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/218.

vv) March 28, 2025 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2025, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/239.

ww) May 1, 2025 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2025, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/244.

xx) September 8, 2025 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2025, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/261.

yy) October 27, 2025 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2025, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/270.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JASWAL